न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :— रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न0— 30 / 2022 दर्ज दिनांक 21.01.2022

जी सी एम एस न0 2022 / 93 निर्णय दिनांक 02.02.2023

परमेश्वरलाल बनाम इन्द्र सिंह

अंतिम निर्णय

उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2022 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा व तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खाता संख्या नया 192 के भूमि खसरा न. 340 रकबा 0.03 है0, खसरा न. 341 रकबा 4.17 है0, खसरा न. 342 रकबा 1.2 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.40 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 16 सूरत सिंह पुत्र निर्भय सिंह की जाति राजपूत के बजाय यादव दर्ज की जावे तथा शेष इन्द्राज बदस्तूर रहें व ग्राम इन्द्रपुरा पटवार हल्का इन्द्रपुरा व तहसील उदयपुरवाटी में भूमि खाता संख्या 192 के भूमि खसरा न. 340 रकबा 0.03 है0, खसरा न. 341 रकबा 4.17 है0, खसरा न. 342 रकबा 1.2 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.40 है0 में वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1, 13 व 16 के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.11.2022 की पालना में तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी से पत्र क्रमांकः— भू.अ. / 2023 / 66 दिनांक 10.01.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो।

2/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 02.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/2/23

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :– रामसिह राजावत (आर.ए.एस.)
मुकदमा न0– 30 / 2022
जी सी एम एस न0 2022 / 93

दर्ज दिनांक 21.01.2022
निर्णय दिनांक 02.02.2023

परमेश्वरलाल बनाम इन्द्र सिंह

दावा विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.2023 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी **को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।** निज..–............निल............... मुबलिक –............निल................. दाबन.–................ ....निल..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –.. ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –... ....निल...................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 02 सन 2023 को जारी की गई।

(रामसिह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:00 IST
Reason: SelfAttested